न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री अमित कुमार मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
124/2024	06.05.2024	26/6/2025

मूलचंद पुत्र मोतीलाल, जोगी निासी खेडली तह0 वजीरपुर ——प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील वजीरपुर ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री संजय कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि ख0न0 366 रकबा 0. 34 है0, ख0न0 367 रकबा 0.08 है0, ख0न0 369 रकबा 0.44 है0, ख0न0 566 रकबा 0.39 है0, ख0न0 571 रकबा 0.11 है0, ख0न0 572 रकबा 0.08 है0, ख0न0 573 रकबा 0.08 है0, ख0न0 574 रकबा 0.24 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.76 है0 मे प्रार्थी का हिस्सा 1/6 दर्ज है। जिसमे प्रार्थी का नाम मूलचंद पुत्र मोती के स्थान पर भूरजी पुत्र मोती दर्ज हो रहा है। इसी प्रकार प्रार्थी की अन्य सहखातेदारी की भूमि ख0न0 541 रकबा 0.55 है0, ख0न0 542 रकबा 0.44 है0, ख0न0 569 रकबा 0.25 है0, ख0न0570 रकबा 0.18 है0 मे प्रार्थी का हिस्सा 1/3 दर्ज है। जिसमे प्रार्थी का सही नाम मूलचंद पुत्र मोती के स्थान पर मुरजी पुत्र मोती गलत नाम दर्ज हो रखा है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित उपरोक्त भूमि से किसी अन्य व्यक्ति का कोई सरोकार वास्ता नही है। प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। खातेदारी में हुई उक्त त्रुटि प्रार्थी के स्व. पिता मोती की मृत्यु के पश्चात विरासत के नामान्तकरण मे हुई है जो राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से प्रार्थी के नाम मूलचंद पुत्र मोती के बजाय प्रार्थी का बोलता नाम मुरजी, भूरजी पुत्र मोती का अंकन राजस्व रिकार्ड मे गलत कर दिया हैं। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों मे प्रार्थी का नाम मूलचंद पुत्र मोती दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों ने गलती से भूरजी, मुरजी गलत अंकन कर दिया है। प्रार्थी ने दिनांक 1.6.24 को

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (स०मा०)

तहसीलदार वजीरपुर को उक्त नाम सही करवाने हेतु निवेदन किया तो उन्होने एसडीओ कोर्ट से नाम शुद्धि के आदेश लाने को कहा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि खाता संख्या 46 मे दर्ज नाम भूरजी पुत्र मोती को हजफ कर मूलचंद पुत्र मोती किये जाने तथा इसी प्रकार खाता संख्या 45 मे प्रार्थी के गलत नाम भूरजी पुत्र मोती को हजफ कर मूलचंद पुत्र मोती किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी राशन कार्ड, फोटोकोपी आधार कार्ड/जनाधार कार्ड/भामाशाह कार्ड, फोटोकॉपी बैंकपास बुक, नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 45,46 ग्राम खेडली प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी को तलब किया गया एवं तहसीलदार वजीरपुर से रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी तहसीलदार वजीरपुर की ओर से उनके पत्र क्रमांक भू0अ0/2024/776 दिनांक 9.9.2024 द्वारा रिपोर्ट भिजवाई गई है। रिपोर्ट में तहसीलदार वजीरपुर ने अंकित किया है कि ग्राम खेडली की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 45 मे प्रार्थी का नाम मूरजी पुत्र मोती जोगी एवं खाता संख्या 46 मे भूरजी पुत्र मोती जोगी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का समस्त सरकारी दस्तावेजों यथा राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड मे मूलचंद पुत्र मोतीलाल योगी दर्ज है जो सही है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से मूलचंद के स्थान पर मूरजी व भूरजी दर्ज हो गया है। जॉच के दौरान पाया गया कि मूरजी, भूरजी एवं मूलचंद एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थी का नाम मूरजी व भूरजी के स्थान पर मूलचंद राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाना उचित है।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तहसीलदार वजीरपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करवाए जाने का निवेदन किया है।

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (स०मा०)

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट का तहसीलदार वजीरपुर की ओर से जो जबाब प्रस्तुत किया गया है उसमें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्धि किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अभिलेख व तहसीलदार वजीरपुर के जबाब के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम खेडली तहसील वजीरपुर की जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 45 मे प्रार्थी का दर्ज नाम मूरजी पुत्र मोती एवं खाता संख्या 46 मे भूरजी पुत्र मोती के स्थान पर मूलचंद पुत्र मोती दर्ज करने का एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्धि करने का आदेश दिया जाता है। इन खातों में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य–प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/6/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते वजीरपुर (स0मा0)

(अमित कुमार मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (स0मा0)

Scanned with OKEN Scanner